07/10/24

पत्रावली. वादी निर्मल पेश हुआ उत्तर पक्ष उपस्थित। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] निर्णय पारित किया गया। निर्णय अनुसार निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GRMS
2024/391

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.09 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

जोगेन्द्रपाल व अन्य   बनाम   बलदेव व अन्य

किस्म मुकदमाः– 53,209 आर.टी.ए.   प्रकरण संख्याः–203/2024

GCMS:- 2024/391

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हूई । कौशल्यादेवी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसने वादी एव प्रतिवादी 1 के हिस्सा का तमाम रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम दर्ज रिकार्ड हो गया है व विभाजन प्रस्ताव मुताबिक कब्जा काश्त आ चुका है इसलिये प्रार्थीया को इस वाद पत्र मे पक्षकार बनाकर प्रार्थिया का नाम वादीया संख्या 02 पर दर्ज किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किया जावे, तथा प्रतिवादी न 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी जोगेन्द्रपाल एव प्रतिवादी 1 बलदेव ने अपने हिस्सा का रकबा का बेचान कर दिया है। इनका नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन हो चुका है, इसलिये दावा से भी इनका नाम कलमजन किया जावे व रकबा बैंक से रहन मुक्त हो चुका है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 का नाम भी कलमजन किया जावे व तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार रकबा का खाता विभाजन कौशल्या देवी व प्रतिवादीया नं. 2 का किया जावे व खाता विभाजन अनूसार अलग–अलग रकम कायम की जावे। उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । दावा के वादी जोगेन्द्रपाल व प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ने अपने हिस्सा का रकबा प्रार्थीया कोशल्यादेवी को बेचान कर कब्जा सौप दिया व राजस्व रिकार्ड से विक्रेता का नाम कलमजन हो गया व कौशल्या का नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज हो गया हैं तथा बैक रहन भी मुक्त हो चुका है, इसलिये दावा से वादी जोगेन्द्रपाल व प्रतिवादी सं. 01 बलदेव व प्रतिवादी सं. 03 बैक ऑफ बड़ोदा का नाम तर्क का आदेश दिया जाता है व प्रार्थीया कौशल्यादेवी का नाम वादीया सं. 02 पर लाल स्याही से दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। वादीया सं. 02 कौशल्या देवी व प्रतिवादीया सं. 02 सोमा दोनो पक्ष पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन मे सहमत है, इसलिये दोनो पक्षों तहसीलदार सूरतगढ से पत्र क्रमांक 61 दिनांक 05.04.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनूसार खाता विभाजन मे सहमत है। अतः वाद वादीया सं. 02 स्वीकार कर वादी सं. 02 एव प्रतिवादीया सं. 02 के नाम के चक 14 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 28/47 के पत्थर न 73/382 व 74/382 के 4.985 हैक. अनकमाण्ड रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता हैः– **वादीया सं. 02 कोशल्या देवी पत्नी वेदप्रकाश मेघवाल को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा :–** चक 14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 73/382 मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 1–10–20/0.759 हैक अनकमाण्ड व पत्थर नं. 74/382 मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 1/2 का 0.228 हैक व किला नं. 2 ता 9 /2.024 हैक , 10/2 का 0.228 हैक व किला नं. 11/3 का 0.114 हैक उतरी पासा, 14/2 का 0.042 हैक पूर्वी पासा व किला नं. 15 ता 17/0.759 हैक कूल 3.395 हैक अनकमाण्ड दोनो पत्थर नम्बरान का 4.154 हैक अनकमाण्ड खातेदारी **प्रतिवादीया नं. 02 सोमादेवी को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा :–** चक 14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 74/382 मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 11/2 का 0.114 हैक दक्षिणी पासा व किला नं. 12–13/0.506 हैक व किला नं. 14/1 का 0.211 हैक अ.क. (पश्चिम पासा) इस प्रकार 0.831 हैक अनकमाण्ड [illegible] तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि [illegible] मे उपरोक्त खाता विभाजन अनुसार अमलदरामद [illegible] की अलग–अलग रकम कायम करने का आदेश दिया [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीत तकमील दाखिल [illegible] निर्णय खुल न्यायालय मे सुनाया गया ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.09 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: अन्तिम डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. **जोगेन्द्रपाल पुत्र श्री जगदेव जाति चमार साकिन 15 ए.एस. हाल भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (नाम तर्क)**
2. **कोशल्यादेवी पत्नी श्री वेदप्रकाश जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–वादी

बनाम

1. **बलदेव पुत्र श्री समुद्रा जाति हरिजन साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (नाम तर्क)**
2. **सोमा पुत्री समुद्रा जाति हरिजन साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
3. **शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ोदा शाखा सूरतगढ़।**
4. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 53–209 आर टी एक्ट मुकदमा न. 203 वर्ष 2024 वकील वादी नं. 2 योगश कुमार व प्रतिवादी नं. 2 शिशपाल शर्मा व राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादीया नं. 2 स्वीकार कर वादी सं. 2 एव प्रतिवादी सं. 2 के नाम के चक 14 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 28/47 के पत्थर न 73/382 व 74/382 के 4.985 हैक् अनकमाण्ड रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

वादीया सं. 02 कोशल्या देवी पत्नी वेदप्रकाश मेघवाल को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा :– चक 14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 73/382 मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 1–10–20/0.759 हैक् अनकमाण्ड व पत्थर नं. 74/382 मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 1/2 का 0.228 हैक् व किला नं. 2 ता 9 /2.024 हैक् , 10/2 का 0.228 हैक् व किला नं. 11/3 का 0.114 हैक् उतरी पासा, 14/2 का 0.042 हैक् पूर्वी पासा व किला नं. 15 ता 17/0.759 हैक् कूल 3.395 हैक् अनकमाण्ड दोनो पत्थर नम्बरान का 4.154 हैक् अनकमाण्ड खातेदारी

प्रतिवादीया नं. 02 सोमादेवी को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा :– चक 14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 74/382 मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 11/2 का 0.114 हैक् दक्षिणी पासा व किला नं. 12–13/0.506 हैक् व किला नं. 14/1 का 0.211 हैक् अ.क. (पश्चिम पासा) इस प्रकार 0.831 हैक् अनकमाण्ड खातेदारी

तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्त खाता विभाजन अनुसार अमलदरामद कर वादी एव प्रतिवादी के रकबा की अलग–अलग रकम कायम करने का आदेश दिया जाता है।

नोज x मुबलिग x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह x फस्दों की पालना x आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.10.24 को जारी की गई।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.09 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested